[16/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 577]

परिशिष्ट

विषय:-शासकीय महाविद्यालयों में कियोस्क के माध्यम से प्राप्त होने वाली फीस में अनियमितता संबंधी प्रकरण पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	की गई कार्यवाही
1	शासकीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, दतिया, मध्यप्रदेश	संबंधित कियोस्क सेंटर विनायक ऑनलाइन सेंटर, तिगेलिया, दतिया एवं त्रिपाठी कमिन्यूकेशन, विवेकानंद चौक, बड़ा बाजार, दतिया से अपेक्षित फीस की राशि बसूल की गई है।
2	शासकीय माधव महाविद्यालय, चंदेरी, जिला-अशोकनगर, मध्यप्रदेश	संबंधित संदेहपूर्ण रसीदों की जांच कराई गई एवं त्रुटिपूर्ण रसीदों पाए जाने पर फीस की राशि वसूल की गई एवं कियोस्क सेंटर संचालक से भी ऐसी रसीदों का पुर्न भुगतान कराया गया । वर्तमान में सुरक्षा करणों से महाविद्यालय की समस्त फीस HDFC बैंक के माध्यम से जमा कराई जा रही है।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

OSD-AKR-L-CC

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक– 2554763

"email"

क्रमांक– 97 /478/आउशि/शा–5'अ'/2023. भोपाल, दिनांक– 23 /01/2024.

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

विषयः–सत्र 2022–23 अन्तर्गत छात्र/छात्राओं से किओस्क के माध्यम से प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क की फर्जी रसीदों की राशि के भुगतान बाबत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक स्था./2023–24/2566 दिनांक 14/10/2023.।

––00––

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17/10/2023 के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि संबंधित कियोस्क द्वारा महाविद्यालय की अपेक्षित राशि रूपये 0646440.8 तथा 0673051.18 बैंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है तथा कियोस्क संचालक द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के लिये जिम्मेदार दो कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है।

अतः अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो जाने से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17/10/2023 के अंतिम पैरा अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ.क्रमांक– 98 /478/आउशि/शा–5'अ'/2023. भोपाल, दिनांक– 23 /01/2024.

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।
2– स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल(म.प्र.)।
3– निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।
4– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर (म.प्र.)।
4– अपर कलेक्टर, बुरहानपुर (म.प्र.)।
– की ओर सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय माधव महाविद्यालय चंदेरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

ईमेल : hegmcchaash@mp.gov.in ☎ 9630622809

पत्र क्र. 344 /2024 चंदेरी, दिनांक 27/11/2024

प्रति,

प्राचार्य (अग्रणी)
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

विषय:- शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में फीस घोटाले की जानकारी (तारांकित प्रश्न क्र. 577) श्री पन्नालाल शाक्य

संदर्भ:- कार्यालय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर का पत्र क्र. 3338/क्षेका/उशि/2024 दिनांक 26/11/2024 ग्वालियर।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि छात्रो के द्वारा फीस रसीद जमा कराते समय कुछ रसीदो पर शंका के कारण इन रसीदो की जांच की गई एंव जांच में पाया कि इन रसीदो पर बाहर के ऑनलाईन कियोस्क संचालक द्वारा एडिटिंग कर रसीद की नकली प्रति बनाई है,

महाविद्यालय द्वारा ऐसी रसीदो को अलग कर संवधित विद्यार्थीयों को वापिस कर शुल्क जमा कराई गई, एवं कियोस्क सेंटर संचालाक से भी ऐसी रसीदो का पुर्नभुगतान संवधित विद्यार्थी को कराया गया।

बर्तमान में सुरक्षा कारणो से महाविद्यालय की समस्त फीस HDFC बैंक के माध्यम से कराई जा रही है।

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
(प्र.प्राचार्य)
शास. माधव महाविद्यालय चंदेरी
जिला - अशोकनगर (म.प्र.)